ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जसवंत सिंह	01.04.2024 से 30.10.2024
2.	श्रीमती राधू रानी	01.11.2024 से 17.11.2024
3.	श्री गोरव कुमार	18.11.2024 से 08.01.2025
4.	श्री रमेश चन्द	09.01.2025 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये भारी अन्तर बारे		8.49
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष		64.55
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष		0.45
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली करना		0.04
5)	8.1	निर्माण सामग्री पेवर / ब्लॉक्स का अनियमित क्रय करना		3.04
6)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना		0.13
7)	8.3	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना भुगतान करना		0.10
8)	8.4	स्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना		0.07
9)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	5.94

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत		(अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 466257 दिनांक 26.05.2022 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4	अनिर्णीत		
3.	पैरा-5	अनिर्णीत		
4.	पैरा-6 (i व ii)	अनिर्णीत		
5.	पैरा-7	अनिर्णीत		
6.	पैरा-8	अनिर्णीत		
7.	पैरा-9	अनिर्णीत		
8.	पैरा-10	अनिर्णीत		
9.	पैरा-11	अनिर्णीत		
10.	पैरा-12	अनिर्णीत		
11.	पैरा-13	अनिर्णीत		

12.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
20.	पैरा-22	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-23	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-24	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.1 में पुन: प्रारूपित।
23.	पैरा-25	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.05.2025 से 30.05.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271/2025 दिनांक 30/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित नेहरियाँ के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 466314 दिनांक 04/06/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	4925340.89	5304656	10229996.89	3774663	6455333.89

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹848888.00** का अन्तर था:-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	6455333.89
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**5605502.00**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	943.89
4)	**योग (2+3)**	**5606445.89**
5)	**अन्तर (4-1)**	**848888.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹8.49 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹848888** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 258/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	6455333.89	5606445.89	848888.00

4.3 स्व: स्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्रोतों के लेन-देन हेतु)

खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

4.4 रोकड़ बही के अनुरक्षण न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार फार्म 14 पर रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युतर में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों की सूची अनुसार **निम्न विवरणानुसार** खाते से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण अधियाचना संख्या 267/2025 दिनांक 30/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने बारे सचिव, ग्राम पंचायत से आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युतर में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त खाते से सम्बन्धित रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त खाते में ब्याज के अतिरिक्त कोई भी लेन-देन नहीं हुआ है तथा न ही अंकेक्षण अवधि दौरान रोकड़ बही के आय व व्यय पक्ष में कोई इन्द्राज किया गया था | अतः रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाया जाए । इसके अतिरिक्त निम्न खाते में अनुपयुक्त राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**मद का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को राशि (₹)**
1	IndusInd Bank	100206135701	CSC	538597.00

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा

योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹64.55 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹6455333.89** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.45 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹45250 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	0	45250	45250	0	45250

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.04 लाख की वसूली शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹3600.00** वसूली हेतू शेष थी|

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	00	14700	14700	11100	3600

अतः दुकान किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "घ" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹4200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	4200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 259/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹3200** की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	3200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2025 दिनांक 27/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई

सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.5 भू-राजस्व व शादी दान से प्राप्त राशि ₹410 को रोकड़ बही में इन्द्राज न करके राशि का संभावित दुरूपयोग:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीदों द्वारा भू-राजस्व व शादी दान के रूप में **₹410** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹410** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है । इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 268/2025 दिनांक 30/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि **₹410** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**भू-राजस्व व शादी दान से प्राप्त राशि (₹)**	**रोकड़ बही में दर्ज गई राशि (₹)**	**कम दर्ज की गई राशि (₹)**
1	263835 से 263840	410	0	410
			योग	**410**

8.1 ₹3.04 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **₹304457** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि०

प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272/2025 दिनांक 30/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	भुगतान राशि(18% GST सहित) (₹)
1	SDP	658	07.09.2024	3500 टाईल / पेवर @ 13.57 प्रति पेवर	47495
2	SDP	702	07.09.2024	2000 टाईल / पेवर @ 13.57 प्रति पेवर	27140
3	SDP	708	07.09.2024	1500 टाईल / पेवर @ 11.21 प्रति पेवर	16815
4	VKVNY	251	06.02.2025	2500 टाईल / पेवर @ 13.50 प्रति पेवर	33750
5	VKVNY	252	07.02.2025	2500 टाईल / पेवर @ 13.50 प्रति पेवर	33750
6	VKVNY	254	07.02.2025	2500 टाईल / पेवर @ 13.50 प्रति पेवर	33750
7	MMGPY	248	06.02.2025	1500 टाईल / पेवर @ 13.50 प्रति पेवर	20250
8	15TH FC	648	01.06.2024	1500 टाईल / पेवर @ 11.5046 प्रति पेवर	17257
9	15TH FC	255	06.02.2025	3500 टाईल / पेवर @ 13.50 प्रति पेवर	47250
10	15TH FC	256	06.02.2025	2000 टाईल / पेवर @ 13.50 प्रति पेवर	27000
				योग	**304457**

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.13 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹12925** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया

गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 264/2025 दिनांक 28/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	P/3	071 05/03/25	RAJ GENERAL STORE NEHRIAN	STATIONERY	4180
2	स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	P/5	034 28/12/24	RAJ GENERAL STORE NEHRIAN	STATIONERY	1240
3	15^{TH} FC	P/6	1356 15.03.25	M/S SHIVA BRICKS UDYOG KATOHAR KALAN	BRICKS	7505
					योग	**12925**

8.3 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.10 लाख का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय

अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹10030** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261/2025 दिनांक 28/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹10030** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	15th fc	C/O WATER TANK MANJEET	6230 07.02.2025	M/S H.S.D. STONE CRUSHER CHURURU	Sand, Agg. etc	10030
					योग	**10030**

8.4 स्रोत पर ₹0.07 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹348575** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्रोत पर **₹6972** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**योग (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	2024-25	M/S Sitco Tiles Industries Amb	Paver / Blocks	348575	348575	6972 (2% x 348575)
				योग	**348575**	**6972**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 266/2025 दिनांक 30/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6972** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.5 ₹0.05 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹5420** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 265/2025 दिनांक 28/05/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	P/3	071 05/03/25	RAJ GENERAL STORE NEHRIAN	STATIONERY	4180
2	स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	P/5	034 28/12/24	RAJ GENERAL STORE NEHRIAN	STATIONERY	1240
					योग	**5420**

8.6 पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2009 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में

उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थति नहीं देता तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा | अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/25 के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गये मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **निम्न प्रकरणों** में निर्वाचित सदस्यों को **₹4500** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या व दिनांक**	**वार्ड सदस्य का नाम**	**मानदेय अवधि**	**भुगतान राशि (₹)**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**	**अधिक भुगतान राशि (₹)**	**विवरण**
1	5THSFC/2024-25/P/3 29.03.2025	श्री वंसी लाल	01.09.2024 से 31.03.2025	8250	6750	1500	उक्त अवधि में कुल 11 मासिक बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्री वंसी लाल दिनांक 07.10.24 व 10.01.2025 को अनुपस्थित था | कुल अनुपस्थितियां = 2 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान = 750×2= 1500/-**
2	--	श्रीमती सुनीता कुमारी	यथोपरि	8250	6750	1500	उक्त अवधि में कुल 11 मासिक बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्रीमती सुनीता कुमारी दिनांक

							10.01.2025 व 24.03.2025 को अनुपस्थित थी। कुल अनुपस्थितियां = 2 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान = 750×2= 1500/-**
3	--	शिवांक मोहम्मद	यथोपरि	8250	6750	1500	उक्त अवधि में कुल 11 मासिक बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्री शिवांक मोहम्मद दिनांक 07.09.24 व 07.10.2024 को अनुपस्थित था। कुल अनुपस्थितियां = 2 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान = 750×2= 1500/-**
				योग	**4500**		

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 273/2025 दिनांक 30/05/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹4500** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने के कारण स्पष्ट किए जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.7 ₹0.03 लाख का सचिव द्वारा हस्तगत राशि से नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान चयनित माह 03/2025 में किए गए व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न वर्णित ₹2900** के प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान हस्तगत राशि से नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार **₹1000** से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 263/2025 दिनांक 28/05/25 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त नगद भुगतान गलती से हो गए थे, जिसे अब RTGS / Cheque / NEFT द्वारा किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | अतः नियमों / निर्देशों के विपरीत किए गए व्यय के दृष्टिगत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । अत: सचिव, ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	P/2	03/25	1660	चायपान
2	P/5	03/25	1240	स्टेशनरी
		योग	**2900**	

9 ₹5.94 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹593670** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262/2025 दिनांक 28/05/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अत: किए गए कार्यों के मूल्यांकन की जाँच अंकेक्षण दौरान सम्भव न हो सकी है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	VKVNY	03/25	C/o Shamshan ghat duhki	017455 27.01.25	सीमेंट	19151
2	MPLADS	03/25	C/O AMBIKA MAHILA MANDSAL PATEHAD	0601 19.02.25, 001519 12.03.25, 104375 (08.03.25 TO 22.03.25)	ईंटे, सीमेंट, मजदूरी	98177
3	VKVNY	03/25	R/O PATH SHIV MANDIR TO ABADI LOHARA	017458 27.01.25	सीमेंट	19151
4	VKVNY	03/25	C/O PATH SATISH KUMAR HOUSE TO WELL WARD NO. 2	017454 27.01.25, 254 07.02.25	सीमेंट, पेवर/ब्लॉक्स	43323
5	15TH FC	03/25	C/O WELL AWADA NEHRI KHALSA	648 01.06.2024	पेवर/ब्लॉक्स	17257
6	15TH FC	03/25	WATER TANK MANJEET KUMAR	1356 15/03/25, 81	BRICKS, STEEL,	30184

				15.03.2025, 6230 07.02.2025, 297 07.02.25	SAND, AGG ETC., CARRIAGE	
7	15TH FC	03/25	C/O PATH ABADI KALI RAM WARD NO 2	017475 06.02.2025, 255 - 256 06.02.2025	CEMENT, PEVER /BLOCKS	104886
8	SDP	03/25	C/O AMBULANCE ROAD H/O MUKESH KUMAR TO ABADI BHRAHMNA	658, 702, 708 DTD. 07.09.24, 017511 12.03.2025	PEVER/BLOCKS, CEMENT	102940
9	MMGPY	03/25	C/O PUCCA PATH M/R TO ABADI RAJPUTAN	248 06.02.2025, 017456 27.01.25	PEVER/BLOCKS, CEMENT	27908
10	VKVNY	03/25	C/O PUCCA PATH M/R TO ABADI RAJPUTAN WARD NO. 1	251 252 06.02.2025, 017459 27.01.25	PEVER/BLOCKS, CEMENT	86647
11	VKVNY	03/25	GRAMIN SAMPARAK MARG M/R TO ABADI RAJPUTAN RAGHUNATH W.NO.9	017510 12.03.2025	CEMENT	15320
12	VKVNY	03/25	C/O PULLI ABADI GULAM MOHD.	017509 12.03.2025	CEMENT	19151
13	NDRF	03/25	R/O PATH NEAR ABADI RAJ RANI W/O VIJAY KUMAR WARD NO. 2	017454 27.01.2025	CEMENT	9575
					योग	**593670**

10.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/2025 दिनांक 27/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 30/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया

जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
12	बिल रजिस्टर	13	48

10.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 269/2025 दिनांक 30/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था | प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सचिव द्वारा रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया, जिसे

नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

10.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270/2025 दिनांक 30/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-118 दिनांक 30.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	001460, 06.02.2025	Cement	84262
2	यथोपरि	001519, 12.03.2025	Cement	38301
3	यथोपरि	071, 05.03.2025	Stationery	4180
4	यथोपरि	0601, 19.02.2025	Bricks	30000
5	यथोपरि	251 to 252, 248, 254 06.02.2015	Paver / Blocks	121492

11 अग्रिम राशि ₹0.63 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक HP State Civil Supplies Corporation ltd Shimla अम्ब को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹63196** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: HP State Civil Supplies Corporation ltd Shimla अम्ब से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिंनाक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/25 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/25 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
1	15वां वित्तायोग	017478 07.02.25	HP State Civil Supplies Corporation ltd Shimla amb	सीमेंट	19150	0	19150
2	15वां वित्तायोग	017466 06.02.25	यथोपरि	सीमेंट	30641	0	30641
3	15वां वित्तायोग	017468 06.02.25	यथोपरि	सीमेंट	5745	0	5745
4	15वां वित्तायोग	017469 06.02.25	यथोपरि	सीमेंट	7660	0	7660
				योग	**63196**	**0**	**63196**

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2025 दिनांक 27/05/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP/Nehri Nauranga/2025-26/-117 दिनांक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

14 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 11.7.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति

4360–4364

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)77/2022–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 11.7.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा', विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	4925340.89	5304656	10229996.89	3774663	6455333.89

ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	4925340.89	2525855	7451195.89	995862	6455333.89

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1990631.89	292914	2283545.89	732623	1550922.89

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2934709	2232941	5167650	263239	4904411

-26- 27

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	2778801	2778801	2778801	0

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 (1) का अंतशेष	6455333.89
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**5605502.00**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	943.89
4)	**योग (2+3)**	**5606445.89**
5)	**अन्तर (1-4)**	**848888.00**

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Nehri	20009003479	259971.00
	UCO bank nehri	11900100000073	236233.00
	HP Gramin Bank Nehri (A/c Closed on dtd. 26.08.22) (14th fc)	88690100001029	0.00
	HP Gramin Bank Nehri (15th fc)	88691100000099	5103169.00
	KCCB Nehri (IAY)	20009003650	6129.00
		योग	**5605502.00**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित)**	943.89
		योग (1+2)	**5606445.89**

परिशिष्ट "ख" **पैरा संख्या7.1 में संदर्भित**

ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	0	45250	45250	0	45250

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

List of outstanding Shop Rent period 04/2024 to 03/2025 in r/o Gram Panchayat- Nehri Nouranga

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
1	1	Sanjay Kumar	0	3600	3600	3600	0
2	2	Sushma Devi	0	3600	3600	3600	0
3	3	Tersem lal	0	3600	3600	3600	0
4	4	Rajeev Kumar	0	3600	3600	0	3600
5	5	Shammy Kumar	0	300	300	300	0
		Total	**0**	**14700**	**14700**	**11100**	**3600**

नोट :- ग्राम पंचायत नेहरी नौरंगा की अपनी आठ दुकाने है, जिसमें से पांच दुकाने किराये पर है शेष तीन दुकानों का उपयोग पंचायत द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

परिशिष्ट 'ध' पैरा संख्या 7.3 व 7.4 के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नैहरी नोरंगा विकास खंड अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

वितिय वर्ष 2024-25 मे विवाह पंजीकरण शूल्क के रूप मे बसूली गई राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद नंबर	बसूली योग्य राशि	बसुल की गई राशि	बसूली हेतु राशि
1	सुमित कुमार	04/03/2024	22/04/2024	00	400	00	400
2	सतीश कुमार	18/04/2024	24/04/2024	00	200	00	200
3	मोहित राजन	18/04/2024	29/04/2024	00	200	00	200
4	अनिल कुमार	18/02/2024	29/04/2024	00	400	00	400
5	रविन्द्र कुमार	18/04/2024	30/04/2024	00	200	00	200
6	रुस्तम मुहम्मद	29/04/2024	07/05/2024	00	200	00	200
7	विक्रम सिंह	18/04/2024	07/05/2024	263838	200	200	00
8	साहिल मुहम्मद	05/05/2024	14/05/2024	00	200	00	200
9	रोहित	23/04/2024	14/05/2024	00	200	00	200
10	सुखदेव सिंह	28/04/2024	14/05/2024	00	200	00	200
11	अभिषेक	09/05/2024	07/06/2024	00	200	00	200
12	वंश शर्मा	21/07/2024	29/07/2024	00	200	00	200
13	नीरज कुमार	21/07/2024	02/08/2024	00	200	00	200
14	ओंकार चंद	03/10/2024	15/10/2024	00	200	00	200
15	नरेश सिंह	07/10/2024	21/10/2024	00	200	00	200
16	विवेक राजन	21/10/2024	05/11/2024	00	200	00	200
17	पंकज शर्मा	22/11/2023	07/11/2024	00	400	00	400
18	विशाल सिंह	08/11/2024	25/11/2024	00	200	00	200
19	विशाल जग्गी	03/11/2024	25/11/2024	00	200	00	200
20	विशाल	24/11/2024	18/01/2025	263859	400	400	00

21	शुभम	18/01/2025	01/02/2025	263860	200	200	00
22	राहुल राजन	21/01/2025	03/02/2025	263861	200	200	00
23	मुकेश कुमार	11/12/2024	10/02/2025	263862	400	400	00
24	अजय ठाकुर	18/01/2025	17/02/2025	263863	200	200	-00
25	शमशेर मुहम्मद	05/12/2024	18/02/2025	263864	400	400	00
26	गितेश मोदगिल	27/11/2024	18/02/2025	263865	400	400	00
27	हर्ष भारद्वाज	07/02/2025	22/02/2025	263866	200	200	00
28	मनीष भारद्वाज	07/12/2022	04/03/2025	263868	400	400	00
29	मलकीयत सिंह	106/03/2025	22/03/2025	263872	200	200	00
	कुल				7400	3200	4200

परिशिष्ट 'ङ' पैरा संख्या 8.4 के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नैहरी नोरंगा विकास खंड अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2024-25 मे M/S SITCO TILES INDUSTRIES को किये गये भुगतान राशि [GST के अतिरिक्त] की सूचि

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाक	राशि [GST के अतिरिक्त]
01	सामान्य	4	04/2024	636	08/04/2024	23000
02	सामान्य	5	04/2024	646	08/04/2024	23000
03	सामान्य	18	09/2024	676	07/09/2024	32200
04	सामान्य	18	09/2024	532	07/09/2024	11500
05	सामान्य	21	09/2024	666	07/09/2024	34500
06	सामान्य	21	09/2024	667	07/09/2024	34500
07	सामान्य	21	09/2024	668	07/09/2024	34500
08	सामान्य	24	09/2024	645	07/09/2024	31625
09	सामान्य	24	09/2024	649	07/09/2024	31625
10	सामान्य	59	09/2024	658	07/09/2024	40250
11	सामान्य	60	09/2024	702	07/09/2024	23000
12	सामान्य	61	09/2024	708	07/09/2024	14250
13	15THFC	14	06/2024	648	07/06/2024	14625
					योग	348575